"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016— वैशाख 2, शक 1938

### पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-24/2009/35/स्था. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) पशु चिकित्सा सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

   "(1) ये नियम छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय पशु चिकित्सा सेवा) भर्ती नियम, 2009 कहलायेंगे;"

2. नियम 2 के उप-नियम (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

   (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत हैं, छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा;"

3. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ङ) का लोप किया जाये.

No. F 1-24/2009/35/Esstt.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Class III (Ministerial) Veterinary Services Recruitment Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (1) of rule 1, the following shall be substituted, namely :-

   "(1) These rules may be called the Chhattisgarh Livestock Development Department Class III (Ministerial Veterinary Service) Recruitment Rules, 2009;"

2. For sub-rule (j) of rule 2, the following be substituted, namely :-

   "(j) "Service" means the Chhattisgarh Livestock Development Department Class - III (Ministerial) Service;"

3. Clause (e) of sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनुप कुमार श्रीवास्तव**, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.